

# मंत्री खाचरियावास के भतीजे ने होटल काउन्टी इन में मंगलवार देर रात की तोड़फोड़

## शराब के नशे में अपने 20-25 साथियों के साथ होटल गेस्ट और स्टाफ से गाली गलौच कर मारपीट भी की



जयपुर। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में होटल काउन्टी इन में मंगलवार देर रात को खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे हर्षदीप सिंह खाचरियावास ने अपने 20-25 साथियों के साथ मिलकर शराब के नशे में होटल स्टाफ और गेस्ट से गाली गलौच कर तोड़फोड़ की। होटल स्टाफ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद भी आरोपी पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट करते रहे। यह पूरा घटनाक्रम होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। बुधवार रात को आरोपियों के खिलाफ होटल संचालक की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

होटल संचालक अभिमन्यु सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब 10.30 बजे हर्षदीप सिंह खाचरियावास अपने 5-7 दोस्तों के साथ खाना खाने में होटल स्टाफ से गाली गलौच कर उसके साथी तेज आवाज में बातें करने लगे। आसपास बैठकर खाना खा रहे लोगों ने उनसे धीरे-धीरे बातें करने को कहा। इस पर वह नाराज हो गया। होटल मैनेजर व स्टाफ ने भी उन्हें जोर से बातें नहीं करने को कहा तो वह और नाराज हो गया। इस बीच उसकी ओर उसके साथियों की होटल के एक गेस्ट से कहासुनी हो गई। इसके बाद गेस्ट अपने-अपने कमरे में चला गया। हर्षदीप ने होटल स्टाफ से गेस्ट का रुम नम्बर मांगा। होटल स्टाफ ने गेस्ट की प्रॉब्लेम्स को देखते हुए जानकारी नहीं दी। इसके बाद उसने फोनकर के अपने 20-25 लोगों को और होटल में बुला लिया और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। होटल

स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। रात करीब 3 बजे तोड़फोड़ के दौरान गेस्ट भी लॉबी में आ गया। पुलिस की मौजूदगी में हर्षदीप और उसके साथियों ने उससे व स्टाफ से मारपीट की। पुलिस ने होटल गेस्ट और स्टाफ को बचाने की कोशिश की। पुलिस गेस्ट को अपने साथ थाने ले जाने लगी। इस दौरान हर्षदीप ने गेस्ट के साथ होटल के बाहर भी मारपीट की गई। पुलिस घटनाक्रम देखती रही। बाद में पुलिस होटल गेस्ट को लेकर मौके से चली गई और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इतना सब होने पर भी हर्षदीप और उसके साथी नहीं माने और होटल के सर्वर रूम में घुसकर वहां मौजूद लड़के से मारपीट कर तोड़फोड़ कर दी।

नम्बर लेकर बात की। हर्षदीप ने कहा कि वह कदम सिंह खाचरियावास का बेटा है। अभी मेरे पिता को फोन लगाऊं क्या। इसके बाद अभिमन्यु ने कहा कि होटल आप का ही है, लेकिन होटल में तोड़फोड़ और मारपीट सही नहीं है। फिर हर्षदीप अपने साथियों के साथ चला गया। यह सब घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। अभिमन्यु सिंह ने वैशाली नगर थाना पुलिस को मारपीट और तोड़फोड़ के सीसीटीवी फुटेज दिए, लेकिन पुलिस ने दिनभर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की है। अभिमन्यु सिंह ने बताया कि दिन भर पुलिस उस पर मामले में राजीनमा करने का दबाव बनाती रही। वहाँ हर्षदीप की ओर से भी उसे फोन पर धमकाया गया। उसने बताया कि वह होटल में हुई मारपीट की शिकायत को लेकर बुधवार सुबह से डीसीबी वेस्ट और वैशाली नगर थाने के चक्कर काटता रहा। उसकी शिकायत को पुलिस ने दर्ज नहीं किया। रात को पुलिस ने मामले होटल मालिक अभिमन्यु सिंह के पिता भवानी सिंह की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की।

इस पूरे प्रकरण को लेकर होटल कारोबारियों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करनी चाहिए। होटल में तोड़फोड़, मारपीट और धमकाने के वीडियो सामने आने के बाद अभिमन्यु सिंह ने होटल एसोसिएशन से मदद मांगी है। उनका कहना है कि इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। वहाँ दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद मनोज मुद्गल ने पत्रकारों को एक वीडियो और स्पष्टीकरण भेजा। वीडियो में सिरसी रोड निवासी अंकित शर्मा नाम के युवक की ओर से घटना के बारे में जानकारी दी

यह पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। होटल संचालक का कहना है कि वारदात के बाद पुलिस और आरोपियों की ओर से राजीनमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। मामले में देर रात को वैशाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। शाम को एक वीडियो सामने आया जिसमें बताया कि हर्षदीप का इस लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं है।

वहीं वीडियो में युवक ने कहा कि वह अपनी धर्मपत्नी और मित्र के साथ बैठे थे। उनके पड़ोस में बैठे एक व्यक्ति ने वेजवह हमला किया और अश्लील हरकतें कीं। फिर भी होटल संचालक और प्रबंधक ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। होटल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। जब वहां दो व्यक्ति जो बीच झगड़ा बढ़ा तब वहां हर्षदीप खाचरियावास बीच बचाव में उभरे थे उनका इस लड़ाई और दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि कांग्रेस पार्षद मनोज मुद्गल और वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

# ‘मैं खुद सेफ नहीं, मुझ पर हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए’

## दिव्या मदेरणा ने आईजी पर निशाना साधा, “ऐसे अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए”

बोली, “जोधपुर घटना पर मैं विधानसभा में बोलना चाहती थी लेकिन इजाजत नहीं दी गई”

जोधपुर, (का.प्र.)। अपनी ही सरकार और मंत्रियों पर कई बार निशाना साधने वाली ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो बाकी के बारे में क्या बात करूँ।

हागी। दिव्या मदेरणा ने प्रश्नकाल के दौरान जोधपुर में हुई घटना को सदन में उठाना चाहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। दिव्या मदेरणा ने जोधपुर आईजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां यह घटना हुई है, वहां से आईजी ने मुझे बिना इंफॉर्मेशन दिए थाना अधिकारी को हटाया दिया। क्यों हटाया, यह किस तरह का रवैया है? एक महीने पहले भी एक हत्या का मामला हुआ था, उसके मुख्य आरोपी भी आज तक नहीं पकड़े गए। मेरे ऊपर भी हमला हुआ था। एक भी आरोपी को आईजी ने नहीं गिरफ्तार नहीं कर पाए। ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए। ऐसे अधिकारियों को पीएचक्यू में कोई और काम दिया जाए। आईजी अपराधों को रोके नहीं विफल रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देने की जरूरत नहीं है। दिव्या ने कहा कि आईजी अपनी मनमानी करेगा क्या? आईजी मुझे जवाब दें, मेरे प्रकरण में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ऐसी घटनाएं आईजी की विफलता है आईजी किस सोच से काम कर रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा में जोधपुर के सामूहिक हत्याकांड पर सदन में बोलने की अनुमति नहीं मिलने के बाद विधानसभा के बाहर दिव्या मदेरणा ने कहा कि सामूहिक हत्याकांड पर मैंने सदन में अपनी आवाज उठाना चाही, लेकिन स्पीकर ने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं जोधपुर रवाना हो रही हूँ, मैं खुद सेफ नहीं हूँ। जिन आरोपियों ने मुझ पर हमला किया वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। पुलिस सुरक्षा के बाद भी मुझ पर लोग हमला कर रहे हैं। मैं भी महिला हूँ, हाँ ये जरूर है कि मैं सक्षम हूँ, लेकिन बावजूद भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जो घटना घटित हुई है वह कई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी इसमें दोषी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अपराधियों में पुलिस का खोफ होना जरूरी है। दरअसल जोधपुर के ओसियां में 4 लोगों को जिंदा जलाने की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जर्जर होती कानून व्यवस्था पर कटघरे में खड़ा किया है। जोधपुर में हुई इस भीषण घटना के बाद ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जोधपुर में कहा कि मैं खुद एक महिला हूँ पर मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ। इससे आज समझ सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति क्या

जोधपुर के ओसियां क्षेत्र की हृदयविदारक घटना पर सतीश पुनिया का बयान

घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, यह सब राज्य की अशोक गहलोत सरकार के साढ़े 4 साल के कुशासन का परिणाम है। इन सब घटनाओं का अंतिम दोषी कोई है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, प्रदेश ही नहीं देश में सबसे विफल गृहमंत्री अशोक गहलोत साबित हुए हैं।

# ‘देश में सबसे विफल गृहमंत्री साबित हुए हैं अशोक गहलोत’

जोधपुर। राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉ. सतीश पुनिया ने जोधपुर जिले की घटना पर बयान जारी कर कहा कि, कांग्रेस सरकार के साढ़े 4 साल के शासन में 10 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ भी अपराध का प्राप तेजी से बढ़ा है और अब जोधपुर के ओसियां क्षेत्र में जो हृदयविदारक घटना हुई है, जिसमें एक मासूम सहित चार लोगों को जिंदा जला दिया गया, इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रदेश में कांग्रेस

सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। कांग्रेस शासन में बदतर कानून व्यवस्था है, हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात इतने डरावने हैं कि घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है और

राजस्थान अत्याचल मण्डल, वृत्त-तृतीय, जयपुर

**श्रद्धांजलि**  
मेरे पूजनीय पिताजी श्री रमेश कुमार यादव (पी.डब्ल्यू.डी.) पुत्र स्व. श्री मनोहरलाल यादव का देवतोकागमन दिनांक 17.07.2023 को हो गया है। हम सभी परिवारजन सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।  
श्रद्धावन्त- माता देवी (धर्मपत्नी), जाना देवी (सहायिका), धर्मकर (पुत्र) एवं समस्त बान्धविया परिवार।

**तीये की बैठक**  
अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी श्री प्रह्लाद नारायण जोशी अगावली वालों का स्वर्गवास 18.07.2023 मंगलवार को हो गया। तीये की बैठक 20.07.2023 गुजरात को दोपहर 2:00 से 3:00 बजे पंचक गांव अगावली, तहसील- बसवा जिला दौसा होगी।  
शोककुल- चिन्नी लाल, रामकरण, घनश्याम, मुकेश चंद्र, सुभाष चंद्र (पुत्र), कन्हैयालाल, मदनलाल (भ्राता), हरदयाल, गिराज प्रसाद, इन्द्र कुमार, कल्याण महाय, डॉ. एस. डी. शर्मा, मोहनलाल, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, मोहन, धासी (भतीजे), राकेश, राजेश, अशोक जी (पुत्री दामाद), अनिता (पौत्री), कमल जी (पौत्री दामाद) एवं समस्त जोशी परिवार।  
मो. - 9414461503, 9414921661, 9990092422, 9460376386, 9887100100

हमारे पूजनीय पिताजी श्री भोलाराम जी सैनी का निधन 18.7.23 को हो गया है। तीये की बैठक 20.7.23 को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान ला-प्रिन्सिपल रिसोर्ट्स, बाईपास रोड, आमेर पर होगा।  
शोककुल- बुद्धि प्रकाश, देवानंद, प्रमोद, गोपी, श्रवण, रवि (पुत्र), सोहन, मोहन, धासी (भतीजे), राकेश, राजेश, प्रशांत, सूरज, आशेष, भावेश, दक्ष (पुत्र), अनिरुद्ध, दिव्यम (पदपौत्र) एवं समस्त जमालपुरिया परिवार।  
फर्म- कैपिटल मेडिकोज, कैपिटल सर्जिकल, Madalin Bio- Sciences- Jaipur, सैनी मेडिकोज- आमेर  
9928836838, 8560913202, 9314082464

**नम्बर मिलाइए**  
**9587884433**  
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराये।

# विधानसभा में पेपरलीक पर हंगामा : शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित अन्य विधायकों ने आरपीएससी की सीबीआई जांच की मांग की

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज पेपरलीक और धांधली के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों ने हंगामा किया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनाणी और बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने धरती परीक्षाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने पेपरलीक मामले में पकड़े गए कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के आरपीएससी सदस्यों से तार जुड़े होने के आरोप लगाए। शून्यकाल में आरपीएससी को भंग करने और अब तक हुई आरपीएससी की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हंगामा किया।

वैल में आकर नारेबाजी की, बाद में सदन से वाकआउट किया

बिच रही है। हद तो तब हो गई जब कल हाईकोर्ट ने नोटिस दिया कि ईओ परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। क्यों न इसे रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह गोपाल केसावत कौन है? इसकी जांच हो। पेपरलीक के मुद्दे पर अशोक लाहोटी ने कहा कि रिट पेपरलीक में एसओजी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की। आरपीएससी पेपरलीक में बदर बनना हो चुका है। आरपीएससी सदस्य बाबुलाल कटारा पेपरलीक में पकड़ा गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आरपीएससी के चेयरमैन वही व्यक्ति है, जो तीन साल से राजस्थान के मुखिया की सुरक्षा कर रहा था। गोपाल केसावत के पकड़े जाने के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई है। एसबी ने गोपाल की केसावत की रिमांड तक नहीं मांगी, लेकिन जब मामला मीडिया में उछला तो जेल जाने के बाद रिमांड पर लिया गया। इससे जाहिर होता है कि सरकार इसमें शामिल

राजस्थान अत्याचल मण्डल, वृत्त-तृतीय, जयपुर

**खबोया पाया**  
शांति नंबर 21, गोवर्धन विहार, टोक रोड, सांगानेर बुद्धबापुरा का सोसायटी पड्डा सिटिंग नंबर 2871 कहीं गुम हो गई है मिलने पर सूचित करें। - 6377283827  
श्री गणेश नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर-ए के भूखण्ड संख्या-ए-30 की सोसायटी रसीद कुछ ख गई है सूचित करें। मधु गुप्ता- 9414932535  
श्री गणेश नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर-ए के दुकान नंबर-7 की सोसायटी रसीद कुछ ख गई है सूचित करें। मधु गुप्ता- 9414932535  
श्री.डी.ए. की योजना कल्पना नगर के प्लॉट नम्बर- बी-372 का जे.डी.ए. से जारी आवंटन पर खो गया है सूचित करें। कर्नलिया लाल- 9460441074

**आम सूचना**  
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुप्रीम इंजिनियर्स प्लानट नं. एच-101, बढाणा, विष्काण्डी औद्योगिक क्षेत्र (विस्तार) जिला जयपुर रजि. संख्या 13/1020/2009 रजिस्ट्रार ऑफ फार्म में हैं। पुरानी साझेदार श्रीमती छोटो देवी इस फर्म से टियरअप हो चुकी हैं। एवं नये साझेदार के रूप में हर्दद गुर्जर (Harsad Gurjar) पुत्र तिलकराज गुर्जर आये हैं। जिस किसी को इसमें आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर जिला उद्योग केन्द्र जयपुर को सूचित करें।  
Supreme Engineers, Partner  
लितक राज गुर्जर

**आम सूचना**  
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ईश्वरलाल पुत्र बृजमल जोशी निवासी गोकुलपुर खेडाखण्ड तहसील जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रत्यक्ष पत्र धुला जाति बगल के नाम दवा खतलेठी भूमि पत्र गोकुलपुर के आ.ख.नं. 32/105/78/1 रकबा 12-02 बीघा अर्थात् 3.0604 हैक्टर सिटिस हिस्सा की वसीयत के आधार पर नामांतरण शुल्कवाने दाखल प्रकरण भू. राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत हाजा न्यायालय में विचारधीन है। अतः यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति/एवरेज हो तो आगामी दिनांक 25.07.2023 तक उसे अनुरोध एवम् उचित दस्तावेजों के साथ मेरे ऑफिस पर प्रस्तुत किया जाए।  
तहसीलदार (भू.अ.) न्यायवेत्ता (जयपुर)

# कोर्टपूतली में तोड़फोड़ की कार्रवाई के संबंध में नगर परिषद ने आखिरकार जवाब दिया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्टपूतली नगर परिषद द्वारा नेशनल हाईवे-48 से संलग्न सड़क को अग्रसेन तिराहे तक जाती है और पूर्वा सिनेमा से अग्रसेन तिराहा तक सड़क मार्ग से स्थाई व अस्थायी अतिक्रमण हटाने से संबंधित तोड़फोड़ के कार्य को कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए अंजाम देने से संबंधित याचिका पर नगर परिषद के कमिश्नर फतह सिंह मोणा ने अपना जवाब दायर किया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को सुनी जायेगी और याचिकाकर्ता की ओर से भी जवाब दायर किया जायेगा। यह मामला न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपैठ के समक्ष सुना जायेगा।

हाईकोर्ट में 25 जुलाई को मामले की पुनः सुनवाई होगी, जिसमें याचिकाकर्ता अपना प्रतिउत्तर पेश करेंगे

अदालत में यह अवमानना याचिका लगभग सालभर से लंबित चल रही है और पांच सुनवाई के बाद नगर परिषद ने जवाब पेश किया है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्टपूतली नगर परिषद द्वारा नेशनल हाईवे-48 से संलग्न सड़क को अग्रसेन तिराहे तक जाती है और पूर्वा सिनेमा से अग्रसेन तिराहा तक सड़क मार्ग से स्थाई व अस्थायी अतिक्रमण हटाने से संबंधित तोड़फोड़ के कार्य को कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए अंजाम देने से संबंधित याचिका पर नगर परिषद के कमिश्नर फतह सिंह मोणा ने अपना जवाब दायर किया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को सुनी जायेगी और याचिकाकर्ता की ओर से भी जवाब दायर किया जायेगा। यह मामला न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपैठ के समक्ष सुना जायेगा।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्टपूतली नगर परिषद द्वारा नेशनल हाईवे-48 से संलग्न सड़क को अग्रसेन तिराहे तक जाती है और पूर्वा सिनेमा से अग्रसेन तिराहा तक सड़क मार्ग से स्थाई व अस्थायी अतिक्रमण हटाने से संबंधित तोड़फोड़ के कार्य को कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए अंजाम देने से संबंधित याचिका पर नगर परिषद के कमिश्नर फतह सिंह मोणा ने अपना जवाब दायर किया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को सुनी जायेगी और याचिकाकर्ता की ओर से भी जवाब दायर किया जायेगा। यह मामला न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपैठ के समक्ष सुना जायेगा।

**मैंने अपना नाम बनवारी लाल से बदलकर बनवारी लाल जाट रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये बनवारी लाल जाट पुत्र रामदेव जाट निवासी वी/पो हरसोली जिला, जयपुर, राजस्थान**

**मैंने अपना नाम बनवारी लाल से बदलकर बनवारी लाल जाट रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये बनवारी लाल जाट पुत्र रामदेव जाट निवासी वी/पो हरसोली जिला, जयपुर, राजस्थान**

**I have change my Name after marriage from Sunita Somjaniya to Bhawana Badlani W/o Shri Manohar Lal Badlani R/o 41, Ganalpur, Mangyavans, Mansarovar, Jaipur (Raj).** In future I know and recognized to my new name.

**I have change my Name after marriage from Seema Laharwani to Jaya Gangwani W/o Bharat Kumar Gangwani R/o 61/190, Rajat Path, Mansarovar, Jaipur (Raj).** In future I know and recognized me from my new name.

**उद्योपगमा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)** व्यवहार मिश्रित (मृत्तकारिक) बारा नं. 616/18 विध. उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।  
प्रार्थी नाम श्री गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री परसाम अग्रवाल जाति महाजन विवाह स्थान पुरा नं. 01-ए-281 रोड नं. 13, वी.के.आई. एरिया जयपुर मुकद. सं. श्रीमति सावित्री देवी अग्रवाल की सम्पत्ति के विधायक हैं।  
पेशी दिनांक 16.08.2013  
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थना/प्रार्थना में इस न्यायालय में इस आराध्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमति सावित्री देवी अग्रवाल पति स्व. श्री परसाम अग्रवाल जाति महाजन निवासी एच-281 रोड नं. 13 वी.के.आई. एरिया जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पत्र में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जाये।  
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 08 सन 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।  
आज दिनांक 11 माह 07 सन 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से उक्त को भेजा गया।  
प्रार्थी ने मृतका सावित्री देवी के नाम प्रार्थना पत्र में वसीयत का सम्पत्ति बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जांच है।  
आज्ञा न्यायालय से परिच्छ मुंसिर जिला एवं सैन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

**उद्योपगमा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)** व्यवहार मिश्रित (मृत्तकारिक) बारा नं. 29/23 विध. उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।  
प्रार्थी नाम श्रीमती सुमन टोक पत्नी श्री विजय न्याय-पट्टा नं. 111, कल्याण नगर III टॉक रोड सांगीनर जयपुर हाल निवासी केसर आक पवन शल्लव, प्लॉट नं. 7, 8 डी, आदिलपुर मुकद. सं. श्री आदिल कुमार टोक की सम्पत्ति के विधायक हैं।  
पेशी दिनांक 25/7/23  
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थना/ प्रार्थना में इस न्यायालय में इस आराध्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम आदिल कुमार टोक पुत्र स्व. श्री सौताराम टोक जाति कलाल निवासी 111 कल्याण नगर III टॉक रोड सांगीनर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पत्र में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जाये।  
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 07 सन 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।  
आज दिनांक 11 माह 07 सन 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से उक्त को भेजा गया।  
प्रार्थी ने मृतका सावित्री देवी के नाम प्रार्थना पत्र में वसीयत का सम्पत्ति बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जांच है।  
आज्ञा न्यायालय से परिच्छ मुंसिर जिला एवं सैन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

**जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जालोर**  
प्रधान कार्यालय : हरदिव जोशी सैलस के प्रा. जालोर-343001  
Email: headoffice@jalorebank.com / Website: jalorebank.com / Phone No. 90798-06434  
क्रमांक/नागरिक/दिनांक

**जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि.** को अपनी शाखाओं हेतु निम्नानुसार Cash Recycling ATM Machine की आवश्यकता है। अतः इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म/कम्पनी से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म/कम्पनी अपनी निविदा पत्र विवरण सौत संक. विवरण में दिनांक 05.08.2023 को सायं 4:00 बजे तक बंधु प्रथात कार्यालय में प्रकृत करें। अन्य शर्तें एवं टेन्डर दस्तावेज बैंक की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. बैंक

**571 17.723 उद्योपगमा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)** व्यवहार मिश्रित (मृत्तकारिक) बारा नं. 29/23 विध. उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।  
प्रार्थी नाम श्रीमती सुमन टोक पत्नी श्री विजय न्याय-पट्टा नं. 111, कल्याण नगर III टॉक रोड सांगीनर जयपुर हाल निवासी केसर आक पवन शल्लव, प्लॉट नं. 7, 8 डी, आदिलपुर मुकद. सं. श्री आदिल कुमार टोक की सम्पत्ति के विधायक हैं।  
पेशी दिनांक 25/7/23  
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थना/ प्रार्थना में इस न्यायालय में इस आराध्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम आदिल कुमार टोक पुत्र स्व. श्री सौताराम टोक जाति कलाल निवासी 111 कल्याण नगर III टॉक रोड सांगीनर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पत्र में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जाये।  
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 07 सन 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।  
आज दिनांक 11 माह 07 सन 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से उक्त को भेजा गया।  
प्रार्थी ने मृतका सावित्री देवी के नाम प्रार्थना पत्र में वसीयत का सम्पत्ति बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जांच है।  
आज्ञा न्यायालय से परिच्छ मुंसिर जिला एवं सैन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

**जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि.** को अपनी शाखाओं हेतु निम्नानुसार Cash Recycling ATM Machine की आवश्यकता है। अतः इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म/कम्पनी से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म/कम्पनी अपनी निविदा पत्र विवरण सौत संक. विवरण में दिनांक 05.08.2023 को सायं 4:00 बजे तक बंधु प्रथात कार्यालय में प्रकृत करें। अन्य शर्तें एवं टेन्डर दस्तावेज बैंक की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. बैंक

**जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि.** को अपनी शाखाओं हेतु निम्नानुसार Cash Recycling ATM Machine की आवश्यकता है। अतः इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म/कम्पनी से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म/कम्पनी अपनी निविदा पत्र विवरण सौत संक. विवरण में दिनांक 05.08.2023 को सायं 4:00 बजे तक बंधु प्रथात कार्यालय में प्रकृत करें। अन्य शर्तें एवं टेन्डर दस्तावेज बैंक की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. बैंक

**जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि.** को अपनी शाखाओं हेतु निम्नानुसार Cash Recycling ATM Machine की आवश्यकता है। अतः इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म/कम्पनी से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म/कम्पनी अपनी निविदा पत्र विवरण सौत संक. विवरण में दिनांक 05.08.2023 को सायं 4:00 बजे तक बंधु प्रथात कार्यालय में प्रकृत करें। अन्य शर्तें एवं टेन्डर दस्तावेज बैंक की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि. बैंक